निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 148) पटना, मंगलवार, 10 अप्रील 2012

समाज कल्याण विभाग

——————

अधिसूचनाएं

29 मार्च 2012

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियमावली, 2012

सं0 10/विविध–57/2006–771——बाल संरक्षण अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा–36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः– यथाः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः– (1) यह नियमावली बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2010 के नियम 8 (7)(ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

अध्यक्ष यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता से संबंधित विपत्रों के बावत स्वयं नियंत्री पदाधिकारी होगा। अन्य सदस्यों के यात्रा भत्ता से संबंधित विपत्रों के बावत अध्यक्ष नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त नियमावली, 2010 के नियम 10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

वाहन सुविधा :– अध्यक्ष एवं सदस्य मात्र शासकीय प्रायोजन से यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वाहन सुविधाओं का हकदार होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

29 मार्च 2012

सं0 10/विविध–57/2006–771 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 29th March 2012

Bihar Commission for Protection of Child Right (Amendment) Rules, 2012

सं0 10/विविध–57/2006–771—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Commission for Protection of Child Right Act, 2005 (4 of 2006) the State Government of Bihar makes the following rules to amend The Bihar Commission for Protection of Child Right Rules, 2010:-

1. *Short title, extent and commencement*:—(1) These rules may be called the Bihar Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

2. *Rule 8(7)(b) of the said rules, 2010 shall be substituted by the following*:—The Chairperson shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to traveling allowance and daily allowance whereas in the case of other members the chairperson will be the controlling officer.

3. Rule 10 of the said rules, 2010 shall be substituted by the following:—*Facility for Conveyance* - The Chairperson and every other member shall be entitled to the facilities of conveyance for journeys for official purpose only as prescribed by the State Government from time to time.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 148-571+2000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in